

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 38 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री गौरव सिंह  
 पंजीकृत कार्यालय:- भारतीय स्टेट बैंक, पोस्ट पाटन तहसील नीमकाथाना  
 -प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. रामकिशन बलाई पुत्र मदन लाल बलाई निवासी डूंगा की नांगल पोस्ट पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. 332718

-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.



**स्वीकृति आदेश**

दिनांक: 17 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री राहुल शर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी रामकिशन बलाई पुत्र मदन लाल बलाई की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 88 दिनांकित 20.04.2018 ग्राम सोहनपुरा डूंगा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 83.6 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं- पूर्व दिशा में रास्ता एवं दिनेश पुत्र शिवलाल का मकान, पश्चिम दिशा में चिरंजी एवं मनोज बलराम का मकान, उत्तर दिशा में इंद्राज का मकान एवं दक्षिण दिशा में चिरंजी पुत्र सुखराम एवं मनोज बलराम का मकान है। उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर कुल ₹5,25,000/- रुपये (अक्षरे रुपये पांच लाख पच्चीस हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक **23.07.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **23.07.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी रामकिशन बलाई पुत्र मदन लाल बलाई की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 88 दिनांकित 20.04.2018 ग्राम सोहनपुरा डूंगा की नांगल तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 83.6 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूर्व दिशा में रास्ता एवं दिनेश पुत्र शिवलाल का मकान, पश्चिम दिशा में चिरंजी एवं मनोज बलराम का मकान, उत्तर दिशा में इंद्राज का मकान एवं दक्षिण दिशा में चिरंजी पुत्र सुखराम एवं मनोज बलराम का मकान है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक



  
 (आशीष प्रौदी)  
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ashish Modi', is written over the printed name.

(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
(आशीष मोदी)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर